

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/4710 /
चार-12-15/99 भाग-चौदह

जबलपुर, दिनांक 25/06/2024

श्री अनिल कुमार देशमुख, चीफ लाइब्रेरियन, उच्च न्यायालय म.प्र., खंडपीठ ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 24-01-2008, समसंख्यक पत्र दिनांक 01-04-2008, दिनांक 04-08-2008 एवं आदेश क्रमांक 2326/3024/2018/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 22-12-2018 के परिपेक्ष्य में एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 8/1/2015/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 11-06-2020 की कंडिका-5 के प्रावधानों की पूर्ति के अधीन उनके द्वारा लाइब्रेरियन/रिफरेन्स लाइब्रेरियन के पद पर 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22-12-2018 में ग्रंथपाल हेतु देय उच्चतर वेतनमान अनुसार दिनांक 08-04-2019 से प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/4711 /
चार-12-15/99 भाग-चौदह


जबलपुर, दिनांक 25/06/2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
3. रजिस्ट्रार, प्रशासन/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,

5. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्यायिक), स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. सहायक सेवा पुस्तिका एवं वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर की ओर इस निर्देश के साथ कि मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 3913/2023/21-ब (एक) भोपाल, दिनांक 11-08-2023 में वित्त विभाग के अभिमत के आलोक में अग्रिम कार्यवाही किये जाने तथा उच्चतर वेतनमानों में कर्मचारियों का वेतन नियतन पश्चात् वेतन नियतन की जांच संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन से करा ली जाए।
10. सहायक स्थापना/लेखा/बजट/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. श्री अनिल कुमार देशमुख, चीफ लाइब्रेरियन, उच्च न्याया. म.प्र., खंडपीठ ग्वालियर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

/C-1/


(डीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)